न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवडा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **26/2020** अपील (राजस्व)

1. श्री अमरलाल पिता श्री वरदा जी डांगी निवासी–सोडावास, तहसील–नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द
2. श्री देवीलाल पिता चेना जी डांगी निवासी–सोडावास, तहसील–नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द
3. श्री खेमराज पिता चेना जी डांगी निवासी–सोडावास, तहसील–नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

—— अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार तारीख 10.07.2020 मुकदमा नंबर 02/20 ना.क.

उपस्थित : 1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–29.11.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम तारीख 10.07.2020 में आदेश पृथक से टंकित करवाकर संलग्न पत्रावली किए जाने का उल्लेख है, लेकिन पत्रावली देखने से स्पष्ट होता है कि आदेश टंकण किया हुआ नहीं है बल्कि छपे–छपाएं परफोर्मा मे हाथ से लिखा गया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्टस का कब्जा 50 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। अपीला[illegible] अपनी–अपनी भूमि पर काफी खर्चा कर आवादान की है। इस आराजी [illegible] दोनों फसलें होती है, जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

पिलाई अपीलाण्ट्स अपने खातेदारी भूमि पर खोदे गए कुएं से करते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को संयुक्त नोटिस देने की भारी भूल की है जबकि कानूनी प्रावधान के अनुसार प्रत्येक अतिक्रमी को अलग–अलग नोटिस देना आवश्यक है। विवादित भूमि बिलानाम है, या चारागाह है यह भी अपने आदेश में स्पष्ट नहीं किया है। अपने आदेश में एक तरफ तो अपीलाण्ट को उपस्थित बताया है जबकि दूसरी तरफ अनुपस्थित होना बताया है जिससे भी कथित आदेश अस्पष्ट है। अपीलाण्ट्स भूमिहिन काश्तकार है तथा विवादित भूमि अपीलाण्ट्स के काबिल नियमन के है, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय को बेदखली का आदेश नहीं देकर नियमन हेतु नियमन कमेटी में भेजने का आदेश देना चाहिए, जो नहीं दिया गया। कथित प्रकरण में अपीलाण्ट्स के पीठ पीछे कोई अन्य व्यक्ति रास्ता लेना चाहता है जिसकी मिलीभगत से कथित आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि के पास खातेदारी की भूमि है, जिस पर आने–जाने का रास्ता उत्तर दिशा की भूमि पर होकर है, जो जिला राजसमंद की सीमा में आती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना माईण्ड ऐप्लाई नहीं कर कथित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण में उपस्थित विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील पर वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की मौजा मंगथला की आराजी नंबर 3772/2748 रकबा 5 बिघा 6 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थीगण का 50 वर्षो से भी अधिक समय से अलग–अलग कब्जा रहा है। अपीलार्थीगण ने अपने–अपने कब्जे की भूमि पर काफी खर्च कर आवादान की है व पिवूल बनाई है। बरसात होने पर ज्वार की फसल अपीलार्थीगण ने अपने–अपने कब्जे की भूमि पर बोई है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

जिससे विवादित भूमि अपीलाण्ट्स के नाम नियमन होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के कथित आदेश की आड में विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण को उनके कब्जे से जबरन बैदखल कर दिया गया जो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी। अतः अपीलाधीन आदेश का अपास्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि आराजी नंबर 3772/2948 रकबा 5.06 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में आधी भूमि हकत है व शेष भूमि मगरी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। चूंकि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अनाधिकृत होने से प्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर भूमि से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा 91 का नोटिस दिया गया उसमें खसरा सं. 3772/2748 अंकन है जबकि आदेश में 3772/2948 का अंकन किया है। प्रार्थी के जवाब का भी फैसले में उल्लेख नहीं किया गया है। फर्द दिनांक 10.07.20 में लिखा गया कि आदेश पृथक से टंकण करवा जाकर संलग्न पत्रावली किया जावे, किन्तु पत्रावली पर अलग से कोई आदेश टंकित नहीं है। फोर्मेट में नाम पते भरे गये है। अपीलान्ट ने 50 साल ये कब्जा काश्त एवं नियमन योग्य होना बताया है।

पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौका पर्चा में खसरा सं. 3772/2948 का अंकन है, लिपिकिय त्रुटि से नोटिस में खसरा सं. 3772/2948 की जगह 3772/2748 लिखा जाना प्रतीत होता है। अपीलान्ट ने 50 वर्षो से कब्जा होना कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया उसमें खसरा सं. 3772/2748 का अंकन है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौका पर्चा में खसरा सं. 3772/2948 का अंकन है जिससे स्पष्ट है लिपिकिय त्रुटि से नोटिस में खसरा सं. 3772/2948 की जगह 3772/2748 लिखा गया है। अपीलान्ट ने 50 वर्षो से कब्जा होना स्वीकार किया है किन्तु उक्त भूमि का नियमन/खातेदारी हेतु कोई न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। किसी व्यक्ति को राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं हैं। अपने कथनो से ही स्वयं अतिक्रमण को साबित किया जा रहा हैं। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना कानून सम्मत नहीं होने से काबिले बेदखली योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है वह विधिअनुसार होकर सही हैं। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested